कार्यालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, राँची (झारखण्ड)

दिनांक 26.04.2016 को उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही।

Recd
21/5/16

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

1. श्री मनोज कुमार उपायुक्त राँची, अध्यक्ष।
2. अपर जिला दण्डाधिकारी, राँची।
3. श्री नागेन्द्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी राँची।
5. श्री रंजीत गडोदिया चार्टर एकाउन्टेन्ट।
6. प्राचार्य जे० वी० एम० श्यामली, डोरण्डा राँची।
7. प्राचार्य डी० पी० एस० राँची (प्रतिनिधी)।
8. प्राचोर्य संत जेवियर स्कूल राँची।
9. श्री एन० पी० सिंह निदेशक एस० एन० सिन्हा संस्थान राँची।
10. श्री अजय राय अभिभावक प्रतिनिधी।
11. श्री राजेश कुमार अभिभावक प्रतिनिधी।

सर्वप्रथम उपायुक्त, राँची को गठित उप समिति के सदस्यों के द्वारा स्कूल बस भाड़ा बढाने संबंधी प्रस्ताव को समर्पित किया गया। बस भाड़ा बढाने संबंधी प्रस्ताव को उपायुक्त राँची के द्वारा अवलोकन एवं प्राप्त जानकारी के पश्चात उप समिति के प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने का सुझाव दिया गया, ताकि जिले का सभी विद्यालय में प्रस्ताव के अनुरूप बस भाड़ा लागू कराया जा सके।

उप समिति द्वारा दिये गए प्रस्ताव में बस भाड़ा का निर्धारण सभी विन्दुओ यथा बस का संचालन व्यय, बैठान क्षमता एवं बस भाड़ा के रूप में प्राप्त आय को ध्यान में रख कर किया गया है एवं बस भाड़ा का निर्धारण KM का SLAB बनाया गया हैं। जो निम्न प्रकार का हैं।

	कि० मी०	अधिकतम निर्धारित भाड़ा
1	0-5 km	710.00
2	05-10 km	850.00
3	10-15 km	985.00
4	15 km से अधिक	1050.00

साथ ही उप कमिटी के प्रस्ताव के अनुसार सभी विद्यालय को वर्ष में 11 माह का ही बस भाड़ा लेने पर सहमति बनाते हुए जिन विद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नही किया जा रहा है, का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी राँची के द्वारा बसो में किसी भी परिस्थिति में Over Load नही करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे लागू करने का निर्णय लिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी राँची द्वारा बैठक में M V Act एवं C M V Rules के तहत ही बच्चो को बसो में ढोने की जानकारी दी गई। यदि जाँच के क्रम मे ऐसा नही पाया जाता है तो Over Load करने वाले बसों पर दण्डात्मक कारवाई करने की बात बतलाई गई। एस० एन० सिन्हा इन्टीटयूट राँची के निदेशक श्री एन० पी० सिंह के द्वारा B P L परिवार के बच्चो को मुफ्त में बस से लाने ले जाने की जानकारी ली गई। झारखण्ड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, जिसमे 25% BPL परिवार के नामांकित

बच्चो का नामांकन सभी निजी विद्यालयो को करना है। बैठक में सहमति बनी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वैसे नामांकित बच्चो का मुफ्त बस की ब्यवस्था सभी निजी विद्यालयो द्वारा की जाए।

अभिभावक मंच के प्रतिनिधी श्री अजय राय के द्वारा JET के आदेश का अनुपालन सभी निजी विद्यालयो द्वारा कराने का प्रस्ताव लाया गया। बैठक में सहमति बनी की विद्यालय में परिचालित बसो की जांच एवं अन्य का अनुपालन JET के अदेशानुसार की जाय।

बैठक के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/4/16

उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक 4828 दिनांक 26/4/2016

प्रतिलिपिः—

1. अपर जिला दण्डाधिकारी, राँची।
2. श्री नागेन्द्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी राँची।
4. श्री रंजीत गडोदिया चार्टर एकाउन्टेन्ट।
5. प्राचार्य जे० वी० एम० श्यामली, डोरण्डा राँची।
6. प्राचार्य डी० पी० एस० राँची (प्रतिनिधी)।
7. प्राचोर्य संत जेवियर स्कूल राँची।
8. श्री एन० पी० सिंह निदेशक एस० एन० सिन्हा इस्टीयूट राँची।
9. श्री अजय राय अभिभावक प्रतिनिधी।
10. श्री राजेश कुमार अभिभावक प्रतिनिधी।
11. सभी निजी विद्यालय राँची। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

26/4/16

उपायुक्त, राँची।